अतिमहत्वपूर्ण/समबयद्ध

संख्या-14/2017/ 1931 /29-6-2017-104सा/09टीसी(10)

प्रेषक,

डा0 अशोक चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

(2) **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊः दिनांकः 20 सितम्बर,2017

विषयः- ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्डो के सत्यापन के उपरान्त बचे हुए लाभार्भियों को पात्रता सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि जनपदों में राशन कार्डो का सत्यापन पूर्ण किये जाने के बाद भी कुछ पात्र लाभार्थी पात्रता सूची में सम्मिलित होने से वंचित रह गये हैं,इस प्रकार वंचित लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 के अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने के उददेश्य से आवश्यक है कि ऐसे लोगों को आवेदन करने हेतु एक और अवसर प्रदान किया जायें ताकि वे अपने आवेदन कर सकें तथा उक्त योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक जनपद में नियमित रूप से तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सम्बन्धित तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त नागरिक अपनी समस्याओं को लेकर उपस्थित होते हैं तथा उनका समाधान किया जाता है। इस तहसील दिवस के अवसर पर खाद्य एवं रसद विभाग का एक पृथक काउन्टर स्थापित किया जाये, जिस पर आवेदक राशन कार्ड के सम्बन्ध में आवेदन कर सके। इन सभी प्रार्थना पत्रों को संकलित कर इनकी जॉच आपूर्ति/राजस्व एवं अन्य विभागों के कर्मचारियों द्वारा करायी जाये तथा एक सप्ताह के अन्दर इसके परिणाम से आवेदक को अवगत कराया जाये। यदि आवेदक अर्ह है तो उसे नियमानुसार उस श्रेणी का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाये। यदि आवेदक पात्रता की श्रेणी हेतु अर्ह नहीं है, तो उसे इस आशय की सूचना अनिवार्यतः दी जाये।

2- उक्त सुविधा का लाभ जन सामान्य को प्रदान करने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। उचित दर दुकानों पर इस आशय की सूचना अंकित कराये जाये ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी हो सके। प्रकरण में कृत कार्यवाही की सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आयुक्त,खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0जवाहर भवन को ई-मेल के माध्यम से up. fncs@gmail.com पर साफ्ट कॉपी Microsoft Excel file एवं हार्ड कॉपी में प्रत्येक सोमवार को अपरान्ह 3-00 बजे तक उपलब्ध करायी जाये।

भवदीय,

(डा0 अशोक चन्द्र)
विशेष सचिव।

संख्या-14/2017/1931(1)/29-6-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग,उ0प्र0लखनउ।
2- समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (खाद्य) उ0प्र0।
3- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उ0प्र0।
4- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ए0पी0 त्रिपाठी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रारूप -ग्रामीण क्षेत्र

मण्डल का नाम-------------

दिनांक-----------------

जनपद का नाम	अभियान से पूर्व कुल प्रचलित राशन कार्डो की सं0			अभियान में नये बनाये गये पात्र कार्डो की सं0			अभियान के पश्चात कुलराशन कार्डो की सं0			अभियान के दौरान आधार सीडिंग किये गये राशन कार्डो की सं0			अभियान के पश्चात आधार सीडिंग किये गये राशन कार्डो की सं0		
	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग	अन्त्योदय	पात्र गृहस्थी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
मण्डल का नाम															

हस्ताक्षर
संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त(खाद्य),
मण्डल का नाम

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।